भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3027

दिनांक 09 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

उत्तर प्रदेश में नए आंगनवाड़ी केंद्र

3027.श्री राम शिरोमणिवर्मा :

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में विशेषकर श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों में वर्ष-वार और जिला-वार कितने नए आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या विभाग के अधिकारी उक्त केंद्रों द्वारा वितरित पौष्टिक खाद्य पदार्थों के वितरण में पाई गई अनियमितताओं की जांच करते हैं, यदि हां, तो इस संबंध में किए गए प्रावधान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार को अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) देश में अब तक कुपोषण के कितने मामले सामने आए हैं; और

(ड.) ऐसे मामलों से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, उत्तर प्रदेश राज्य को कुल 190145 आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 189021 आंगनवाड़ी केंद्र कार्यशील हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को बार-बार सलाह दी गई है कि वे अंतिम लाभार्थियों तक सेवाओं की बेहतर प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए स्वीकृत संख्या के भीतर आंगनवाड़ी केंद्रों को स्थानांतरित करने पर विचार करें ।

(ख) से (ग) सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है तथा स्कीम का कार्यान्वयन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के क्षेत्र में आता है। भारत सरकार योजना और इसके घटकों की निरंतर निगरानी एवं समीक्षा करती है। इस योजना का कार्यान्वयन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार केवल नीति और नियोजन के लिए जिम्मेदार है तथा राज्य सरकारें दिन-प्रतिदिन के कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं योजना के सभी क्रियाशील पहलुओं के लिए जिम्मेदार हैं। भारत सरकार योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निर्धारित लागत साझाकरण अनुपात में धनराशि जारी करती है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने गुणवत्ता आश्वासन, कर्तव्यधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियों, खरीद की प्रक्रिया, आयुष अवधारणाओं को एकीकृत करने और पूरक पोषण प्रदायगी में पारदर्शिता, दक्षता एवं जवाबदेही के लिए पोषण ट्रैकर के माध्यम से डेटा प्रबंधन तथा निगरानी पर सुव्यवस्थित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पूरक पोषण के तहत खाद्य पदार्थों की पोषण स्थिति और गुणवत्ता मानकों के लिए, राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में पारदर्शिता की निगरानी की जा रही है।

(घ) और (ड.) वर्ष 1992-93 से आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के विभिन्न दौरों ने पूरे भारत में बच्चों में कुपोषण संकेतकों में सुधार दिखाया है।

एनएफएचएस-1 से एनएफएचएस-5 तक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इन संकेतकों का विवरण नीचे दिया गया है:

एनएफएचएस सर्वेक्षण	अल्पवजन %	दुबलापन %	ठिगानापन %
एनएफएचएस -1 (1992-93)*	53.4	17.5	52
एनएफएचएस -2 (1998-99)**	47	15.5	45.5
एनएफएचएस -3 (2005-6)***	42.5	19.8	48.0
एनएफएचएस-4 (2015-16)***	35.8	21.0	38.4
एनएफएचएस-5 (2019-21)***	32.1	19.3	35.5

* 4 साल से कम

** 3 साल से कम

*** 5 साल से कम

उपर्युक्त तालिका उस समय 0-3 वर्ष, 0-4 वर्ष और 0-5 वर्ष की आयु के सभी बच्चों में कुपोषण संकेतकों को दर्शाती है। यह तालिका दर्शाती है कि पिछले 30 वर्षों के दौरान बच्चों में कुपोषण का स्तर सामान्यत कम होता रहा है।

वर्ष 2021 के लिए भारत में 5 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनुमानित जनसंख्या 13.75 करोड़ है (स्रोत: भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)। हालाँकि, पोषण ट्रैकर के जून 2024 के आंकड़ों के अनुसार, 5 वर्ष तक के केवल 7.65 करोड़ बच्चे ही आंगनवाड़ी में नामांकित हैं एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत हैं। इनमें से 7.37 करोड़ बच्चों की वृद्धि मापदंडों पर मापन की गई। इनमें से 36.5% बच्चे ठिगने पाए गए, 16.4% बच्चे कम वजन के पाए गए और 6% बच्चे दुबले पाए गए।

इसके अलावा, वर्ष 2021 के लिए भारत में 6 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनुमानित जनसंख्या 16.1 करोड़ है। पोषण ट्रैकर के जून 2024 के आंकड़ों के अनुसार, 8.91 करोड़ बच्चे (0-6 वर्ष) आंगनवाड़ियों में नामांकित हैं, जिनमें से 8.57 करोड़ बच्चों का विकास मापदंडों पर मापन किया गया। इनमें से 35.6% बच्चे (0-6 वर्ष) ठिगने पाए गए हैं और 17.2% बच्चे (0-6 वर्ष) कम वजन के पाए गए हैं।

मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और हिमायती के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने तथा स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा में सुधार लाने के लिए कार्यनीतिक बदलाव किया गया है। इस योजना का उद्देश्य मातृत्व पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार के मानदंड, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष प्रथाओं के माध्यम से स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना है ताकि कुपोषण, कम वजन, ठिगानापन और एनीमिया को कम किया जा सके। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लाभार्थियों को टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं प्रदान की जाती हैं। मिशन पोषण 2.0, 18 से अधिक मंत्रालयों/विभागों के साथ मिलकर कुपोषण से निपटने तथा स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों को सहायता और कार्यान्वयन करता है।

****